

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2016

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तकनीकी पर्यवेक्षक (न्यूरो प्रयोगशाला) भर्ती नियम, 1999 को उन बार्ती के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तकनीकी पर्यवेक्षक (न्यूरो प्रयोगशाला) भर्ती नियम, 1999 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तकनीकी पर्यवेक्षक (न्यूरो प्रयोगशाला) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और घेड वेतन अथवा वेतनमान -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा घेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहताएं आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएं और उससे संबंधित अन्य बार्ती वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहंता :** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
5. **बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।**
6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण		वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अधवा अंचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शेषिक्त और अंत्य अहताएं	
		(1)	(2)			(3)	(4)	
तकनीकी पर्यावरक (न्यूरो प्रयोगशाला)	01*	(2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामाजिक सेवा, समूह सम्प्रभावित, अनुपस्थितीय किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा, समूह राजपत्रित, अनुपस्थितीय परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन बैंड -2, साथ ग्रेड वेतन- रूपया 4600	चयन वेतन बैंड -2, साथ ग्रेड वेतन- रूपया 4600	30 वर्ष से अधिक नहीं हो। (सरकारी सेवकों के लिए आयु में छठे 5 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अध्यार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदर्शों और आदेशों के अनुसार शिखिल की जा सकती है।)	लागू नहीं।

टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अध्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पैति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार ट्रैवीप और लखटद्वीप के अन्याधियों के लिए चिह्नित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शेषिक्त अहताएं प्रतिशत	परिवेशका की अवधि, यदि कोई हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा की जाने वाली व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी या प्रोन्ज्ञति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा की जाने वाली व्यक्तियों की प्रतिशतता
--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	शैक्षण्य	प्रोन्नति द्वारा
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा अर्थ की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	अर्थ करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (न्यूरो सर्जरी) अथवा ईईजी तकनीशियन के पद पर रेतन बैंड -2, 9300-34800 + ब्रेट वेन्टन- रूपमा 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'छ' विभागीय प्रोन्नति समिति अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल विभागाध्यक्ष, तंत्रिका-विज्ञान विभाग, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल उपनिदेशक, प्रशासन, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी,	लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य

[A.12018/47/2000-MH III]

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार मुद्रणालय,
बाहरी रिंग रोड, साया पूरी नई दिल्ली 64